निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 79/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

लालचन्द पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर ।
2. पूरण पुत्र विरदा जाति माली निवासी राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 35/2013 ब उनवानी पूरण बनाम जगदीश को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री बन्शीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 09.02.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेश किया गया था जो प्रकरण संख्या 35/2013 ब उनवानी पूरण बनाम जगदीश दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमे पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं ने उपस्थित हो कर जवाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01.07.2019 को जो आदेश पारित किया गया था उसके विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर मे रिवीजन प्रस्तुत कर रखी है। इस कारण प्रकरण में सुनवाई स्थगित की जावे, परन्तु सुनवाई स्थगित नही की गई तथा बिना कानूनी प्रकिया अपनाये ही कार्यवाहियां की जा रही है। दिनांक 13.09.2020 को ही हल्का पटवारी द्वारा तथ्यात्मक जाच रिपोर्ट बनाते समय प्रार्थी के दस्तावेज नही लिये। क्योंकि प्रार्थी के पास दस्तावेज उस समय उपलब्ध नहीं थे तथा प्रार्थी ने दो दिन पश्चात दस्तावेज बाबत कहा तो हल्का पटवारी ने यह कहा

जिला कलक्टर
जयपुर

कि उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से फोन आ रहा है कि मुझे दिनांक 14.09.2020 को ही रिपोर्ट पेश करनी है । कुछ समय पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 ने मुझे यह कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 से मेरी बात हो गई तथा मेरे पक्ष में एक दो तारीख पेशियों मे फैसला कर देंगे। जब प्रार्थी दिनांक 17.09.2020 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय जिलाधीश परिसर में आया तो अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में बात चीत कर रहा था तथा बाहर आकर अन्य व्यक्ति जो पूर्व में उसके साथ थे, उन्हें यह कह रहा था कि दिनांक 23.09.2020 को प्रकरण में फैसला मेरे पक्ष में हो जायेगा। इसलिए प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। न्यायहित में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 का कहना है कि मामला धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का होकर 17 वर्ष पुराना है। जिसमें किसी भी प्रकार का फैसला नहीं हो रहा है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे खारिज किया जाकर शीघ्र न्याय प्रदान करने के निर्देश दिये जाने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी से टिप्पणी चाही गई थी, किन्तु प्राप्त नहीं हुई है। इससे प्रार्थी के कथन को बल मिलता है। चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) का न्यायालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नहीं होगी । फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 35/2013 व उनवानी पूरण बनाम जगदीश को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में सुनवाई हेतु दिनांक 23.02.2021 को उपस्थित हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) व उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

9/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर